



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-40/2024.....2203...../

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 08 / 08 / 2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹15,96,580/- (रुपये पन्द्रह लाख छियानवे हजार पांच सौ अस्सी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बहादुरगंज, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹15,96,580/- (रुपये पन्द्रह लाख छियानवे हजार पांच सौ अस्सी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

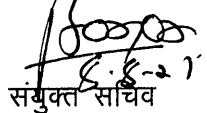
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, किशनगंज से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-40/2024-...D./टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसनीय,

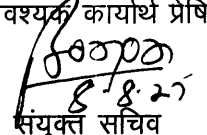

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-40/2024.....2203.....

पटना, दिनांक- 08 / 08 / 2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतिग्रों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

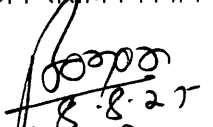

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-40/2024.....2203.....

पटना, दिनांक- 08/08/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, किशनगंज /जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बहादुरगंज/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।